

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 15/2024
वाद अ. धारा 53 आर.टी.ए.

65

मूर्ति कौर नेहरा पत्नी श्री हरमन्दर सिंह नेहरा जाति कुम्हारसिख निवासी
मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीया

- बनाम्
1. अमरजीत कौर पुत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 2. गुरचरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 3. गुरदास सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 4. डिप्टी सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 5. दर्शन सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 6. जसपाल कौर पुत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 7. धन सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 8. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 9. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 10. बलजीत कौर पुत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 11. भोला सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 12. मनजीत कौर पुत्री श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 13. मलकीत सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 14. सुखचरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 15. हरगोविन्द सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 16. मेजर सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 17. गुरदेव सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 18. जीत सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 19. गुरमेल सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 20. नक्षत्र सिंह पुत्र स्व. श्री हजुर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 21. ईकवाल सिंह पुत्र श्री स्व. श्री विचित्र सिंह पुत्र श्री स्व. श्री हजुर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 22. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपरिस्थिति :-

वादीया की ओर से

:- श्री महावीर बेरड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 22/7/2024

लगातार -- 2

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

वादीया मूर्ति कौर नेहरा ने प्रतिवादीगण अमरजीत कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 एम.जे.डी. के खाता सं. 60/53 जमाबन्दी सम्बत् 2060-63 में जरिये ईन्तकाल सं. 319 दिनांक 14.02.2006 के माध्यम से 0.872 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त कृषि भूमि वादीया ने जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से खरीद की थी। तहसील ऑनलाईन होने के पश्चात् उक्त खाता की कृषि भूमि विवादित खाता सं. 97/62 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में पैमूद हुई। पैमूद होने के पश्चात् वादीया के नाम से उक्त खाता में 1हि. विवादित कृषि भूमि दर्ज हुई। उक्त चक के खाता सं. 60/53 व 97/62 की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं पंजीकृत बैयनामा की चित्रप्रति सलंगन वाद पत्र है। यह कि वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 एम.जे.डी. के खाता सं. 60/53 जमाबन्दी सम्बत् 2060-63 में जरिये ईन्तकाल सं. 319 दिनांक 14.02.2006 के माध्यम से 0.872 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। वादीया ने खरीद के रोज से ही 0.872 है. कृषि भूमि पर काबिज होकर काशत करती चली आ रही है। वादीया का कब्जाकाशत बाबत् अन्य किसी भी सहकाशतकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वादीया ने अन्य सहकाशतकारान के साथ खरीद के रोज से ही अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मीमा पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीया काशत करती चली आ रही है। वादीया को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादीया मूर्ति कौर नेहरा पत्नी श्री हरमन्दर सिंह नेहरा जाति कुम्हारसिख निवासी महराजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-


चक 11 एम.जे.डी. खाता सं. 97/62 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75		
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/176	5	6/0.038 है., 13/0.126 है., 14/0.202 है., 15,16/0.253 है.प्र.
		कुल 0.872 है. नहरी कृषि भूमि

यह कि वादीया खरीद, कब्जाकाशत एवं बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काशत करती आ रही है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाशत बाबत् कोई विवाद नहीं है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीवबट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता है। इस कारण वादीया ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीया का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। वस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 21 को सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं आने वाले प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के विरुद्ध दिनांक को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 22 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 11 एम.जे.डी. के खाता सं. 60/53 जमाबन्दी सम्बत् 2060-63 एवं खाता सं. 97/62 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादीया का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीया के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 संयुक्त खाता के काशतकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वाद पत्र में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीया के अधिवक्ता ने वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद पत्र डिफ्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 एम.जे.डी. के खाता सं. 60/53 जमाबन्दी सम्बत् 2060-63 में



महायक कलेक्टर एवं
उपग्रन्थ अधिकारी
संगरिया

जरिये ईन्तकाल सं. 319 दिनांक 14.02.2006 के माध्यम से 0.872 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त कृषि भूमि वादीया ने जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से खरीद की थी। तहसील ऑनलाईन होने के पश्चात् उक्त खाता की कृषि भूमि विवादित खाता सं. 97/62 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में पैमूद हुई। पैमूद होने के पश्चात् वादीया के नाम से उक्त खाता में 1हि. विवादित कृषि भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी सं. 1 ता 21 को सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं आने वाले प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 21 संयुक्त खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र, वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

वादीया मूर्ति कौर नेहरा पत्नी श्री हरमन्दर सिंह नेहरा जाति कुम्हारसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/176	5	6/0.038 है., 13/0.126 है., 14/0.202 है., 15,16/0.253 है.प्र. कुल 0.872 है. नहरी कृषि भूमि

उक्तानुसार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाकर कब्जाकाश्त के अभाव में अन्य प्रतिवादीगण/खातेदारान का नाम कलमजान किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कमिश्नर एवं
उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 15/2024

मूर्ति कौर नेहरा पत्नी श्री हरमन्दर सिंह नेहरा जाति कुम्हारसिख निवासी मोरजण्ड
सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीया

बनाम्

- अमरजीत कौर पुत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- गुरचरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- गुरदास सिंह पुत्र श्री अंजो जटसिख जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- डिप्टी सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- दर्शन सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- जसपाल कौर पुत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- धन सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- पंथी सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- बलजीत कौर पुत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- भोला सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- मनजीत कौर पुत्री श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- मलकीत सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- सुखचरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- हरगोविन्द सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- मेजर सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- गुरदेव सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- जीत सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- गुरमेल सिंह पुत्र स्व. श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- नक्षत्र सिंह पुत्र स्व. श्री हजुर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- ईकबाल सिंह पुत्र श्री स्व. श्री विवित्र सिंह पुत्र श्री स्व. श्री हजुर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 22.7.2024

लगातार -- 2

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष गस्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीया मिन ग्रामिन मुदई प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादीया मूर्ति कौर नेहरा पत्नी श्री हरमन्दर सिंह नेहरा जाति कुम्हारसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

वक 11 एम.जे.डी. खाता सं. 97/62 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
29/01/76	5	6/0.038 है., 13/0.126 है., 14/0.202 है., 15,16/0.253 है.प्र. कुल 0.872 है. नहरी कृषि भूमि

उक्तानुसार वादीया को खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाकर कब्जाकाशत के अभाव में अन्य प्रतिवादीगण/खातेदारान का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निल खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22.7.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया